संयुक्त और बहुराष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा

जनरल द्विवेदी ने भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग को दी नई उड़ान

- भारत-ऑस्ट्रेलिया सैन्य साझेदारी मजबूत
- संयुक्त अभ्यास और बहुराष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा
- भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों को नई गति मिली

नई दिल्ली, 20 फरवरी. सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने 16 से 19 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान वहां के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ समकालीन सुरक्षा चुनौतियों, संयुक्त अभ्यास और बहुराष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा की.

इस यात्रा से भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंधों को नई गति मिली और दोनों देशों के बीच सामरिक समन्वय गहरा हुआ. जनरल द्विवेदी ने सिडनी में फोर्सेज कमांड, स्पेशल ऑपरेशंस कमांड और ऑस्ट्रेलियाई सेना की दूसरी डिवीजन के नेतृत्व से मुलाकात कर बल की तत्परता, प्रशिक्षण पद्धतियों और संचालन क्षमता पर विचारों का आदान-प्रदान किया. दोनों देशों ने द्विपक्षीय सेना अभ्यास 'आस्ट्राहिन्द' के आगामी संस्करण को और समृद्ध बनाने की प्रतिबद्धता जताई.

कैनबरा में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट के साथ विस्तृत चर्चा हुई.

दोनों ने अपने साझा अनुभव और अमेरिकी आर्मी वॉर कॉलेज में अध्ययन के आधार पर संस्थागत संबंध मजबूत करने और सहयोग के नए आयाम विकसित करने पर बल दिया.

> जनरल द्विवेदी ने ऑस्ट्रेलियन कमांड एंड स्टाफ कॉलेज और ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज के नेतृत्व को संबोधित किया, जहां उन्होंने मजबूत नेतृत्व, संयुक्तता और बहुराष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और वहां रहने वाले भारतीय पूर्व सैनिकों से भेंट कर संबंध मजबूत किए .इस यात्रा ने भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग को नई दिशा दी और हिन्द प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया.

अफगानिस्तान में विवादित कानून लागू

काबुल, 20 फरवरी. तालिबान सरकार ने नया आपराधिक प्रक्रिया कानून लागू किया है, जिसे लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है. 90 पन्नों की इस संहिता 'दे महाकुमु जज़ाई उसूलनामा' को सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा की मंज़ूरी मिली है. दस्तावेज़ में कुछ शर्तों के तहत घरेलू दंड की अनुमति दी गई है, बशर्ते गंभीर चोट या हड्डी टूटने जैसी स्थिति न हो. संहिता के अनुच्छेद 32 और 34 में वैवाहिक संबंधों से जुड़े प्रावधान शामिल हैं, जिनमें महिलाओं की आवाजाही पर भी प्रतिबंध का उल्लेख है. साथ ही, अपराधों के लिए सजा सामाजिक श्रेणी के आधार पर तय करने की व्यवस्था की गई है. उच्च धार्मिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को शारीरिक दंड से छूट दी गई है, जबकि निचले वर्ग के लिए कठोर दंड का प्रावधान है.यदि गंभीर चोट होती है तो अधिकतम 15 दिन की सजा का उल्लेख किया गया है. अदालत में शिकायत दर्ज कराने के लिए महिला को पुरुष अभिभावक के साथ उपस्थित होना अनिवार्य बताया गया है.

योगी ने बजट की उपलब्धियां साझा कीं

लखनऊ, 20 फरवरी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में लीकेज रोके, भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया और वित्तीय अनुशासन को मजबूत किया. इन प्रयासों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है और उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है.मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में राज्य की छवि में व्यापक बदलाव आया है. आज उत्तर प्रदेश को देश-विदेश में नागरिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है. यह बदलाव स्पष्ट नीति, पारदर्शी कार्यशैली और शुद्ध नीयत का परिणाम है.

> लघु एवं सीमांत किसानों की कर्जमाफी का उदाहरण देते हुए बताया कि 2017 में 86 लाख किसानों के एक लाख रुपए तक का कर्ज बजट संसाधनों से माफ किया गया. इसे वित्तीय अनुशासन और कुशल संसाधन प्रबंधन का उदाहरण बताया. योजना और वित्तीय पारदर्शिता के लिए सरकार ने पर्सनल लेजर अकाउंट प्रणाली में सुधार किया, जिससे अनावश्यक धन वितरण रोका गया और योजनाओं के लिए केवल आवश्यक धन ही जारी किया गया. भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन का पालन कर राजकोषीय प्रबंधन संतुलित किया गया. मुख्यमंत्री ने क्रेडिट-डिपॉजिट रेशियो में वृद्धि का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 2016-17 में यह 43-44% था, जो अब 61-62% तक बढ़ गया है.

राहुल गांधी कोर्ट में हुए पेश

- अमित शाह पर टिप्पणी मामले में आरोपों से किया इनकार

सुल्तानपुर, 20 फरवरी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को यूपी के सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए. उनके वकील ने बताया कि राहुल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि यह मामला राजनीतिक दुर्भावना के तहत दर्ज कराया गया है. कोर्ट में प्रवेश करते ही राहुल ने

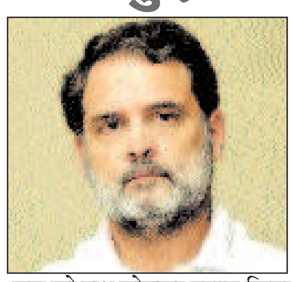

जज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और सुनवाई के बाद धन्यवाद कहा. इस मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी.

'नमो भारत' कॉरिडोर कल से पूरे एनसीआर में चालू

- इस रीजनल नेटवर्क में 70 किमी एलिवेटेड और 12 किमी भूमिगत ट्रैक शामिल

नई दिल्ली,20 फरवरी. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आधुनिक और तेज़ परिवहन व्यवस्था लाने वाला दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर 22 फरवरी को पूरी तरह चालू हो जाएगा. 82.15 किमी लंबे इस रीजनल रैपिड ट्रांजिट नेटवर्क में 70 किमी एलिवेटेड और 12 किमी भूमिगत ट्रैक शामिल हैं. 16 स्टेशन हैं, जिनमें न्यू अशोक नगर, सराय काले खां, आनंद विहार (अंडरग्राउंड), साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ साउथ शामिल हैं.इस हाई-स्पीड रेल की डिजाइन गति 180 किमी/घंटा और अधिकतम परिचालन गति 160 किमी/घंटा है, जबकि औसत परिचालन गति 90 किमी/घंटा रखी गई है.

Change of Name

I, RAGHVENDRA S/o DINESH SINGH SIKARWAR, R/o Chhote Singh Ka Pura, Bagchini, Morena, Madhya Pradesh – 476219, have changed my name and shall hereafter be known as RAGHVENDRA SINGH SIKARWAR.

Change of Name

I, ELCY JOSEPH alias ELCY alias ELCY VARGHESE D/o JOSEPH W/o VARGHESE JOSEPH, R/o Sheetla Puram Colony, Gaushala Road, Morar, Gwalior, Madhya Pradesh – 474006, have changed my name and shall hereafter be known as ELCY VARGHESE

पश्चिम रेलवे – दाहोद

टेंडर नोटिस संख्या – W722-1-25-26-20RT3, दिनांक : 18.02.2026, कार्य का नाम : फ्रीलैंडगंज रेलवे कॉलोनी दाहोद में स्थित विभिन्न सर्विस बिल्डिंग की रिवायरिंग, **पता** : सहायक परियोजना प्रबन्धक (बिजली), सी साइट, फ्रीलैंडगंज, दाहोद-389160 (गुजरात), **कार्य की अनुमानित लागत** : ₹ 70,88,808/-, **ई-टेंडर जमा करने व खुलने की तिथि व समय** : Submission Up to 15.00 Hrs on **13.03.2026** and the tenders will be opened at 15.30 Hrs on the same day. The Tender Notice and documents uploaded on the website **www.ireps.gov.in** / E-Tenders / Works / IR Electrical by this office.

ADM/7/1/465

Follow us on: twitter.com/WesternRly

पश्चिम मध्य रेल

खुली निविदा, इंजीनियरिंग विभाग

निम्नलिखित कार्य के ई-निविदा भारत संघ के राष्ट्रपति के पक्ष में वरिष्ठ मंडल अभियंता (सामान्य) मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) पश्चिम मध्य रेल्वे, जबलपुर के द्वारा आमंत्रित की जाती है।, **निविदा सूचना क्रमांक** -डी.आर.एम. डब्ल्यू-जे.बी.पी-25-2026 दिनांक 17/02/2026, **कार्य का नाम लोकेशन सहित**- जबलपुर मंडलः जबलपुर मंडल के विभिन्न खंडों पर कार्यों के लिए आवश्यक सभी डेटा एकत्र करने और डीपीआर/तकनीकी व्यवहार्यता, बोर होल विवरण तैयार करने का कार्य।, **कार्य का अनुमानित मूल्य**- 2,59,44,458/-, **बयाना राशि रूपये**- 2,79,700/-, **समापन अवधि**- 24 माह, **निविदा सूचना क्रमांक** - डी.आर.एम. डब्ल्यू-जे.बी.पी-26-2026 दिनांक 17/02/2026, **कार्य का नाम लोकेशन सहित**- जी डब्लू सी बीः सहायक मंडल अभियंता ब्यौहारी सब डिविजन के अंतर्गत गोंडावली गुड्स शेड का विकास।, **कार्य का अनुमानित मूल्य**- 15,41,38,934/-, **बयाना राशि रूपये**- 9,20,700/-, **समापन अवधि**- 18 माह, **उपरोक्त सभी निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय 15:00 बजे तक**- 13/03/2026, **उपरोक्त सभी निविदा खुलने का समय 15:15 बजे तिथि**- 13/03/2026, उपरोक्त ई-निविदा संपूर्ण जानकारी वेबसाइट https://ireps.gov.in पर उपलब्ध है। एवं इसकी पूरी जानकारी मंडल रेल प्रबंधक (कार्य) कार्यालय पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के नोटिस बोर्ड पर रखी गई है। ई-निविदा के अलावा उपरोक्त कार्य के लिए कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। **(हस्ता.)**

मंडल रेल प्रबंधक (कार्य), पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

दि कॉसमॉस को-ऑप. बँक लि. (मल्टिस्टेट शेड्यूल्ड बँक) जीवन करा समृद्ध!

पंजीकृत कार्यालय : 'कॉसमॉस टॉवर', प्लॉट नं. 6, आईसीएस कॉलोनी, युनिवर्सिटी रोड, गणेशखिण्ड, शिवाजीनगर, पुणे-411007. फोन : 020-67085305

कब्जे की सूचना (नियम ८(१) के तहत)

जब कि, अधोहस्ताक्षरी को कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए द कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने **दिनांक 07.06.2025 को डिमांड नोटिस जारी किया,** जिसमें उधारकर्ता को बुलाया गया था **श्री. रविकुमार करिरा (पुत्र - मुरलीलाल करिरा), पता:-** फ्लैट नं. एफ-503, पांचवीं मंजिल, बिल्डींग नं. एफ-1, ब्लॉक डी, ट्रेजर विहार, ट्रेजर टाउन, ग्राम बिजलपुर, तहसील एवं जिला: इंदौर, मध्य प्रदेश-452 012 उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि **₹ 20,31,323.50 (₹ बीस लाख इकतीस हजार तीनसौ तेईस और पचास पैसे मात्र) + अतिरिक्त ब्याज, उस पर लगने वाले शुल्क** चुकाने के लिए उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर रक्कम अदा करें।

उधारकर्ता पूरी राशि का भुगतान करने में विफल रहा है, एतद्वारा ऋणी और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित संपत्ति का दिनांक 16/02/2026 को सुरक्षा ब्याज प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत **प्रतिकात्मक कब्जा** कर लिया है

ऋणी और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति के साथ व्यवहार न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **₹ 20,31,323.50 (₹ बीस लाख इकतीस हजार तीनसौ तेईस और पचास पैसे मात्र) + अतिरिक्त ब्याज, उस पर लगने वाले शुल्क के लिए** दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

श्रीमती. रत्नादेवी करीरा, पत्नी - श्री. मुरलीलाल करीरा, श्री. मुरलीलाल करीरा, पुत्र - भीमनदास करीरा और श्री. रवीकुमार करीरा, पुत्र - श्री. मुरलीलाल करीरा के स्वामित्व में)

आवासीय संपत्ति फ्लैट नं. 503, 5 वीं मंजिल, बिल्डींग नं. एफ-1, ब्लॉक-डी, ट्रेजर विहार, ट्रेजर टाउन, ग्राम - बिजलपुर, तहसील और जिला: इंदौर - 452 012 में स्थित है, जिसका निर्मित क्षेत्र 983 वर्ग फुट है। **सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व की ओर:** अपार्टमेंट/फ्लैट संख्या 504, **पश्चिम की ओर:** खुला स्थान, **उत्तर की ओर:** खुला स्थान, **दक्षिण की ओर:** अपार्टमेंट/फ्लैट संख्या 502।

दिनांक : 16/02/2026
ठिकाण : इंदौर

राजेश कदम
अधिकृत अधिकारी और सहाय्यक महाप्रबंधक, दि कॉसमॉस को-ऑप. बँक लि.

डिमांड नोटिस

सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (उक्त एक्ट) की सेक्शन 13 (2) के तहत जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 (1) के सहपठित है. उक्त नियमों के नियम 3 के सहपठित उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (12) के तहत प्रदान अधिकारों के पालन में आईआईएफएल होम फाइनेंस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) के प्रा. अधिकारी ने उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (2) के तहत डिमांड नोटिस जारी की है व देनदारों को उन्हें जारी डिमांड नोटिस में कथित राशि चुकाने को कहा है. उक्त से संबंधित, देनदारों को एक बार फिर इस नोटिस प्रकाशन से 60 दिनों में भुगतान तिथि तक डिमांड नोटिस तिथि से आगे ब्याज सहित निम्न कथित राशि का भुगतान करने की नोटिस दी जाती है. देनदारों के वितरण डिमांड नोटिस तिथि पर बकाया राशि व लोन राशि के भुगतान के प्रति प्रस्तुत सिक्योरिटी के विवरण निम्न हैं-

देनदारों/गारंटरों का नाम	डिमांड नोटिस तिथि व राशि	सिक्योर्ड एसेट विवरण (अचल संपत्ति)
श्री राजेश विष्णु जय मां वैष्णव इंजीनियरिंग श्रीमती संजू यादव (प्रॉस्पेक्ट नं. 821670, आईएल 10132432)	25/10/2025 और रुपये 565281/- (रु. पांच लाख पैंसठ हजार दो सौ इक्यासी मात्र) 821670 के लिए और रु. 875646/- (रु. आठ लाख पिचहत्तर हजार छह सौ छियालीस मात्र) आईएल10132432 के लिए	संपत्ति का वह पूरा हिस्सा प्लॉट संख्या 526, लेमन सिटी, सर्वे संख्या 623/2, 625, 626, 620/3, 627, ग्राम पालिया हैदर, तहसील हातोद, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001, भारत. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में)- संपत्ति का प्रकार- भूमि क्षेत्र, कालीन क्षेत्र- 750.00, 100.00.

यदि उक्त देनदार आईआईएफएफ एचएफएल को उक्त भुगतान नहीं करते हैं तो वह देनदारों के पूरी तरह से जोखिम, लागत व नतीजों पर उक्त एक्ट की सेक्शन 13 (4) व लागू नियमों के तहत उक्त सिक्योर्ड एसेट के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं . विवरण हेतु संपर्क प्रा. अधिकारी, ब्रांच आफिस - 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेस कोर्स रोड इन्दौर-452001 /या कार्पोरेट ऑफिस: आईआईएफएल टॉवर, प्लाट नं. 98, उद्योग विहार, फेस-IV, गुड़गांव, हरियाणा.

स्थान: इन्दौर, दिनांक: 21-2-2026

प्रा. अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लि.

कार्यालय ग्राम पंचायत सिंगोट जनपद पंचायत पंधाना

क्रमांक | दिनांक :12.02.2026

निविदा आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत सिंगोट का पशु बिक्री बाजार एवं सार्वजनिक हाट बाजार का ठेका वर्ष **2026-27** (अवधि **01.04.2026** से **31.03.2027** तक) के लिए निलामी दिनांक **26/02/2026** दिन गुरुवार को मांगलिक भवन में समय दोपहर **12.00** बजे रखी गई है। अतः इच्छुक ठेकेदार धरोहर राशि जमा कर बोली लगाने में भाग ले सकते है। इस संबंध में नियम एवं शर्तों का विवरण कार्यालयीन समय में ग्राम पंचायत कार्यालय में देख सकते है।

सूचना प्रेषित।

जगदीश पटेल सरपंच, ग्राम पंचायत सिंगोट मो.नं. 9893063173

अंकित पालीवाल सचिव, ग्राम पंचायत सिंगोट मो. 7987413561

यूको बैंक UCO BANK (A Government of India Undertaking)

आंचलिक कार्यालय: 380, दूसरी मंजिल, साकेत नगर, इंदौर फोन: 0731-2438331

वसूली/प्रवर्तन एजेंट/एजेंसी के सूचीबद्ध हेतु

वसूली/प्रवर्तन एजेंट/एजेंसी के सूचीबद्ध के लिए पात्र व्यक्तियों/ संस्थाओं / एजेंसियों/ एलएलपी/कंपनीयों आदि से आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन **यूको बैंक, आंचलिक कार्यालय इन्दौर, वसूली विभाग, दूसरी मंजिल, 380, 381, साकेत नगर, इन्दौर म.प्र. 452018 में 27.02.2026 को सायं 5 बजे तक** आमंत्रित किए जायेंगे।

पात्रता और अन्य विवरणों के लिए, हमारी निकटतम शाखओं/कार्यालयों पर जाएं या बैंक की वेबसाईट **www.uco.bank.in** पर लॉग इन करें।

अंचल प्रबंधक, अंचल कार्यालय, इन्दौर

दि कॉसमॉस को-ऑप. बँक लि. (मल्टिस्टेट शेड्यूल्ड बँक) जीवन करा समृद्ध!

पंजीकृत कार्यालय : 'कॉसमॉस टॉवर', प्लॉट नं. 6, आईसीएस कॉलोनी, युनिवर्सिटी रोड, गणेशखिण्ड, शिवाजीनगर, पुणे-411007. फोन : 020-67085305

कब्जे की सूचना (नियम ८(१) के तहत)

जब कि, अधोहस्ताक्षरी को कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के (नियम 3) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए द कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने दिनांक 26.05.2025 को डिमांड नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता को बुलाया गया था **श्री. आशीष अग्रवाल, पुत्र - महेश चंद्र अग्रवाल, पता -** 11, रूबी विला, वायु एन्क्लेव, सिल्वर स्प्रिंग फेज़-1, नायटा मुंडला, इंदौर, मध्य प्रदेश-452 001 उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि **₹ 66,93,828.03 (₹ छियासठ लाख तिरानबे हजार आठसौ अठाईस और तीन पैसे मात्र)** + अतिरिक्त ब्याज, उस पर लगने वाले शुल्क चुकाने के लिए उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर रक्कम अदा करें।

उधारकर्ता पूरी राशि का भुगतान करने में विफल रहा है, एतद्वारा ऋणी और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित संपत्ति का दिनांक 16/02/2026 को सुरक्षा ब्याज प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत **प्रतिकात्मक कब्जा** कर लिया है

ऋणी और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे नीचे वर्णित संपत्ति के साथ व्यवहार न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **₹ 66,93,828.03 (₹ छियासठ लाख तिरानबे हजार आठसौ अठाईस और तीन पैसे मात्र)**+ अतिरिक्त ब्याज, उस पर लगने वाले शुल्क **के लिए** दि कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

(श्रीमती. मनिषा अग्रवाल, पत्नी - राजेश अग्रवाल और श्री. आशिष अग्रवाल, पुत्र - महेशचंद्र अग्रवाल के स्वामित्व में)

सर्वे क्रमांक 534/5/1/2/3 (पटवारी हल्का क्रमांक 11 नया 27) की भूमि, जिसका क्षेत्रफल 0.064 हेक्टेयर (640 वर्ग मीटर) है, ग्राम – राउ, तहसील और जिलाः इंदौर, वर्तमान में 450 वर्ग मीटर की चबूतरे वाली इमारत है। **सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व की ओर :** पुरुषोत्तम नारायण और अन्य की भूमि, **पश्चिम की ओर :** सर्वे क्रमांक 534/5/1/2 की भूमि का शेष भाग, **उत्तर की ओर :** पुरुषोत्तम और अन्य की भूमि, **दक्षिण की ओर :** मुनीर अहमद की भूमि।

दिनांक : 16/02/2026
ठिकाण : इंदौर

राजेश कदम
अधिकृत अधिकारी और सहाय्यक महाप्रबंधक, दि कॉसमॉस को-ऑप. बँक लि.

शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस : 501, सालकॉन ऑरम, जसोला डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली-110025
CIN: U65900DL2020PLC366027

फाइनेंशियल एसेट्स के सिक्यूरिटाइजेशन और रीकंस्ट्रक्शन और सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के सेक्शन 13 (8) और 13 (13) के साथ सेक्शन 13 (2) के तहत डिमांड नोटिस

इसके द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे दिए गए बॉरोअर/को-बॉरोअर, जिन्होंने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से लोन लिया है, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, जिसका हेड ऑफिस 3rd फ्लोर, ADD इंडिया टॉवर, सेक्टर 125, नोएडा-201303 में है, अपनी क्रेडिट सुविधाओं का ब्याज SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD. को देने में फेल रहा है और उनके लोन अकाउंट्स को Reserve Bank of India की गाइडलाइंस के अनुसार NPA के तौर पर क्लासिफाई कर दिया गया है. बॉरोअर्स ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को अपनी अचल प्रॉपर्टीज़ की सिक्योरिटी दी है, जिसकी डिटेल्स नीचे दी गई हैं. लोन की डिटेल्स और आज की तारीख तक बॉरोअर्स द्वारा SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD. को बकाया और देने लायक रकम नीचे दी गई है.

कर्जदार/को-कर्जदारों और आम जनता को यह बताया जाता है कि नीचे साइन करने वाला, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का ऑथराइज्ड ऑफिसर होने के नाते, सिक्योर्ड क्रेडिटर ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (SARFAESI एक्ट) के प्रोविजन्स के तहत नीचे दिए गए कर्जदार/को-कर्जदारों के खिलाफ एक्शन शुरू किया है. अगर नीचे दिए गए कर्जदार इस नोटिस के 60 (साठ) दिनों के अंदर अपने नाम के आगे दिए गए बकाया ड्यूज को चुकाने में फेल हो जाते हैं, तो नीचे साइन करने वाला SARFAESI एक्ट के सेक्शन 13 के सब-सेक्शन (2) के तहत सिक्योर्ड क्रेडिटर को दी गई किसी एक या ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करेगा, जिसमें प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने और उन्हें बेचने की पावर भी शामिल है. आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे नीचे बताई गई प्रॉपर्टी से डील न करें.

कर्जदार / गारंटर और मॉर्टगेजर का नाम	सिक्योर्ड की डिटेल्स एसेट (इम्मोवेबल प्रॉपर्टी)
1. श्री भरतलाल पुत्र श्री खेमराज (कर्जदार/) गांव मुंडला, मुंडला, धार मध्य प्रदेश, 454001. 2. श्रीमती रेखा बाई पत्नी श्री भरतलाल (सह-कर्जदार/मॉर्टगेजर) मकान नंबर 111, गांव मुंडला, खाचरौद धार, मध्य प्रदेश, 454001. 3. श्री राजनारायण पाटीदार पुत्र भरतलाल (सह-कर्जदार) गांव मुंडिया, पोस्ट खाचरौद, बाबरदा, खाचरौद, धार, मध्य प्रदेश, 454001. 4. श्री खेमराज पाटीदार पुत्र पन्नालाल (सह-कर्जदार) 02, गांव मुंडला, खाचरौद, बाबरदा धार, मध्य प्रदेश, 454001.	प्रॉपर्टी पर इक्विटेबल मॉर्गेज- रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जिसका एरिया 6006.60 Sq. Ft, 558.0314 Sq. Mtrs है, बिल्डिंग नंबर 90, सर्वे नंबर 31/3/2, गांव मुंडला, ग्राम पंचायत मुंडा, तहसील बदनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश. रेवेन्यू रिकॉर्ड में E-रजिस्ट्रेशन नंबर MP119062024A11061968, तारीख 27-08-2024, मिसेज रेखा बाई पत्नी श्री भरतलाल के नाम पर रजिस्टर्ड है. घिरा हुआ- पूरब- खेमराज की ज़मीन, पश्चिम- सपना की ज़मीन, उत्तर- खेमराज की ज़मीन, दक्षिण-गली.
	लोन अकाउंट नंबर, डिमांड नोटिस की तारीख और रकम
NPA तारीख- 03-02-2026	लोन अकाउंट नंबर 103041546632 डिमांड नोटिस की तारीख- 19-02-2026 बकाया रकम- 18-02-2026 तक रुपए 10,65,000/- (रु. दस लाख पैंसठ हज़ार मात्र)
1. मिस्टर राहुल S/o मिस्टर करण सिंह (बॉरोअर) अलारी रोड, बोरबाधाकड़ उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456770 2. मिसेज नितिका बाई W/o मिस्टर राहुल (को-बॉरोअर/ मॉर्टगेजर) 98, विलेज बोरबाधाकड़ उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456770 3. मिस्टर करण सिंह S/o मिस्टर रतन सिंह (को-बॉरोअर) अलारी रोड, बोरबाधाकड़ उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456770 4. मिसेज पार्वती बाई W/o करण सिंह (को-बॉरोअर) अलारी रोड, बोरबाधाकड़, जवासिया कुमार उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456770 5. मिस्टर सुनील S/o मिस्टर करण सिंह (को-बॉरोअर) अलारी रोड, बोरबाधाकड़, जवासिया कुमार उज्जैन, मध्य प्रदेश, 456770	प्रॉपर्टी पर इक्विटेबल मॉर्गेज- रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, जिसका एरिया 1400 Sq. Ft, 130.06 Sq. Mtrs है, बिल्डिंग PHN नंबर 52 (सरल नंबर 2559), हाउस नंबर 98, गांव बोरबाधाकड़, ग्राम पंचायत बोरबाधाकड़, तहसील, तराना और ज़िला उज्जैन, मध्य प्रदेश में है. रेवेन्यू रिकॉर्ड में E-रजिस्ट्रेशन नंबर MP432022023A12276080, तारीख 18-08-2023, मिसेज नितिका बाई पत्नी मिस्टर राहुल के नाम पर रजिस्टर्ड. इससे घिरा- पूरब- अमर सिंह का घर, पश्चिम- निर्भय सिंह का घर, उत्तर- खुद की ज़मीन, दक्षिण- गली
	लोन अकाउंट नंबर, डिमांड नोटिस की तारीख और रकम
NPA तारीख- 03-02-2026	लोन अकाउंट नंबर 103041547255 डिमांड नोटिस की तारीख- 20-02-2026 बकाया रकम- 19-02-2026 तक रु. 7,00,000/- (रु. सात लाख मात्र)

तारीख: 19-02-2026 और 20-02-2026, स्थान: नोएडा

ऑथराइज्ड ऑफिसर, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माणविभाग, संभाग क्रमांक 1, इन्दौर

eepwd1ind@mp.nic.in / Ph. No.0731-2490978

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 74 / व.ले. लि / 2025-26/ | इन्दौर दिनांक- 18.02.2026

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है । उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर देख जा सकता है।

स.क्र.	ऑनलाईन टेण्डर नं.	कार्यकानाम	ठेके की अनुमानित राशि (लाख में)	अमानतराशि (रू.)	निविदाप्रपत्र की राशि	कार्यपूर्णकरने की निर्धारित अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	2026_PWDRB_483530_1	इन्दौर के रेसिडेंसी एरिया में मुनमुन शर्मा द्वारा ऑक्यूपाइड बंगला संख्या बी-1 का नवीनीकरण कार्य	38.50	50000.00	5000.00	240 दिवस वर्षाकाल सहित
2	2026_PWDRB_483532_1	इन्दौर के गुमास्ता नगर स्थित सेल्स टेक्स कॉलोनी के बी ब्लॉक संख्या 41 से 80 तक की मरम्मत और रखरखाव का कार्य	54.83	54830.00	10000.00	240 दिवस वर्षाकाल सहित
3	2026_PWDRB_483534_1	इंदौर के रेसिडेंसी एरिया में आईएमसी कमिश्नर इंदौर द्वारा ऑक्यूपाइड रिलीज़ हाउस का नवीनीकरण कार्य	39.00	50000.00	5000.00	240 दिवस वर्षाकाल सहित
4	2026_PWDRB_483536_1	हाईकोर्ट परिसर इंदौर में शौचालय का निर्माण विकलांग और टांसजेंडर हेतु (डिपोजिट कार्य) द्वितीय कॉल	5.00	10000.00	2000.00	90 दिवस वर्षाकाल सहित
5	2026_PWDRB_483538_1	मुख्यालय उपसंभाग क्रमांक 1 के अंतर्गत वीवीआईपी कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के लिए बैरिकेडिंग कार्य	19.50	39000.00	2000.00	240 दिवस वर्षाकाल सहित
		कुल योग	156.83			

1. उपरोक्त वेबसाईट पर ऑनलाईन पेमेंट करने के पश्चात बिडडॉक्यूमेंट क्रय किया जा सकता है।
2. बिड प्रस्तुत करते समय बिड प्रस्तुत कर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। 1. बिड डॉक्यूमेंट की खरीदी का प्रमाण 2. अरनेस्ट मनी जमा करने का प्रमाण 3. चेकलिस्ट, 4. एफिडेविट 5. पीडब्ल्यूडी पंजीकरण 6. जीएसटी 7. पैन कार्ड 8. एनेक्चर - एच विस्तृत जानकारी बिड डाटा शीट में देखी जा सकती है।
3. निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय करने की तिथि दिनांक 19.02.2026 10:00 से दिनांक 27.02.2026 18:00 बजे तक निर्धारित है।
4. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एंव अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाईट पर देखी जा सकती है।
5. निविदा मे किसी भी प्रकार का संशोधन समाचारपत्रों में प्रकाशन नहीं किया जा कर सिर्फ वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर ही किया जावेगा,

* एनेक्चर - बी एफिडेविट (नॉन ज्यूडिशियल स्टाम 200/-)

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि. संभाग क. 1 इन्दौर

G26144/25

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड (Aadhar Housing Finance Ltd)

कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई - 400069.
शुजालपुर शाखा: मकान नं. 17, वार्ड नं. 15, पंजाबी मोहल्ला, दिगंबर जैन मंदिर रोड, शुजालपुर मंडी, जिला - शुजालपुर 465333 (म.प्र.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिग्रहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता (ओ)(शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	लोन नं. 09110000470/ शुजालपुर शाखा) यूसूफ शाह (ऋणी) सकीना बी (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जीएफ हाउस नं.138 ग्राम सुंदरसी सीरियल नं.25 सुंदरसी तहसील पोलाकलां शाजापुर मध्य प्रदेश 465113 **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- स्वयं की भूमि, पश्चिम - सार्वजनिक मार्ग, उत्तर - मुस्तफ शाह का मकान, दक्षिण - बुकी शाह का मकान	12-05-2025 & ₹ 4,49,659/-	18-02-2026

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 21-02-2026

प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

परिशिष्ट IV (नियम 8(1)) **आधिपत्य सूचना** (अचल संपत्ति हेतु)

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

CIN: U67100MH2007PLC174759

रिटेल केन्द्रीय एवं पंजीकृत कार्यालय : एडलवाइस हाउस, ऑफ सी.एस.टी. रोड, कलीना, मुम्बई 400098

जबकि यहाँ उल्लिखित सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम), 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (नियम 3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे यथा उल्लिखित मांग सूचना जारी की थी जिसमें कर्जदार(ओं) से सूचना में उल्लिखित राशि उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से **60 दिनों** के अंदर भुगतान करने के लिए कहा। इसके बाद, असाइनर संदर्भित ने अधोल्लिखित वित्तीय परिसंपत्तियाँ **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** को स्वयं/अपनी **उल्लेखित विभिन्न ट्रस्ट के ट्रस्टी** की क्षमता से कार्यरत (यहाँ आगे **"ईएआरसी"** कहा गया है) असाइनमेंट एग्रीमेंट के अनुसार सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 5 के तहत एसाइन कर दीं। ईएआरसी असाईनर की भूमिका में आ गया और वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में विचाराधीन प्रतिभूति हितों, गारंटी, रेहनों सहित असाईनर के सभी अधिकार, हक और हित कर्जदार द्वारा ली गई वित्तीय सहायता के संबंध में **ईएआरसी** को निहित हो गए हैं और **ईएआरसी** प्रत्याभूत लेनदार के रूप में अपने सभी अधिकार प्रयोग करता है। कर्जदार द्वारा राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी की क्षमता से अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का **भौतिक कब्जा** संपत्ति के समक्ष उल्लेखित दिनांक को ले लिया है।

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधो की ओर आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार और सामान्य रूप में सर्वजन को संपत्ति से कोई लेन-देन न करने के लिए आगाह किया जाता है और संपत्ति का कोई भी लेन-देन नीचे उल्लिखित राशि और इस पर ब्याज के लिए **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

समनुदेशक का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता नंबर	उधारकर्ता एवं सह-उधारकर्ता(ओं) का नाम	मांग सूचना की राशि एवं सूचना दिनांक	कब्जे की तारीख	कब्जे की स्थिति
मेसर्स एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड	EARC TRUST SC- 379	9001060100874242	1. **कमल दास बैरागी** (ऋणी एवं बंधककर्ता) 2. **लीलाबाई बैरागी** (सह-ऋणी) 3. **रेखा बाई बैरागी** (सह-ऋणी) 4. **रविशंकर शर्मा** (जमानतदार)	**रु. 18,17,397.52** (रुपये अठारह लाख सत्रह हजार तीन सौ सिंत्यान्वे एवं बावन पैसे मात्र) एवं 25-03-2023	19-02-2026	भौतिक कब्जा

अचल संपत्ति का विवरण:- प्लाट नं. 236 पर निर्मित मकान के समस्त भाग एवं अंश, जो ग्राम आबादी सर्वे नं. 861, पटवारी हल्का नं. 13, ग्राम मोकडी तहसील खाचरोद, जिला उज्जैन में स्थित है। कुल क्षेत्रफल 1200 वर्गफीट, **संपत्ति मालिक : कमलदास बैरागी** एवं **चर्तुसीमाएँ:-**; पूर्व : श्री राजेन्द्रसिंह का मकान, पश्चिम : श्री भारतसिंह का मकान, उत्तर : बालूसिंह का मकान, दक्षिण : रोड़

स्थान : मुम्बई,
दिनांक : 20-02-2026

प्राधिकृत अधिकारी
एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड

Edelweiss Asset Reconstruction